**प्रेस नोट पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद दिनांक 15.01.2026**

**"ऑपरेशन प्रहार" के अन्तर्गत स्वाट टीम, अपराध शाखा पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद व थाना साहिबाबाद द्वारा की गयी संयुक्त कार्यवाही के दौरान झारखण्ड से तस्करी कर लाई जा रही अफीम के साथ अन्तर्राज्यीय तस्कर 01 महिला व 01 पुरुष गिरफ्तार कब्जे से 2.206 किलोग्राम अफीम बरामद।**

श्रीमान पुलिस आयुक्त महोदय कमिश्नरेट गाजियाबाद के निर्देशन में दिनांक 10/01/2026 से नशे के विरुद्ध चलाये जा रहे आपरेशन प्रहार के अन्तर्गत दिनांकः14.01.2026 को स्वाट टीम अपराध शाखा पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद व थाना साहिबाबाद पुलिस के साथ सयुक्त कार्यवाही में मुखबिर की सूचना पर थाना साहिबाबाद क्षेत्र में मोहन नगर चौकी क्षेत्र स्थित राजीव कालोनी कट पर झारखण्ड से तस्करी कर लाई जा रही 2.206 किलोग्राम अफीम सहित 02 अन्तर्राज्यीय तस्कर 01 महिला व 01 पुरूष को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता अर्जित की गई है। अफीम तस्करो से बरामद 2.206 किलोग्राम अफीम की कीमत अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में लगभग 25 लाख रूपये है।

**पूछताछ का विवरणः-** पूछताछ पर अभियुक्त सुनील कुमार व गिरफ्तार महिला अभियुक्ता ने बताया कि दोनो ही मूल रूप से झारखण्ड के चतरा जिले के रहने वाले हैं उक्त अफीम को झारखण्ड के सोनू नाम के व्यक्ति से लेकर बस व ट्रेनो से होते हुए तस्करी कर गाजियाबाद आये हुए थे। ये अपने गाँव के पास ही रहने वाले अफीम तस्कर सोनू के सम्पर्क मे थे और सोनू ने ही अभियुक्त सुनील की मुलाकात उसकी सह-अभियुक्ता से करायी थी। ये दोनो अवैध अफीम की तस्करी झारखण्ड से उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब व दिल्ली एन0सी0आर0 मे जाकर करने लगे इस काम में इनको अधिक फायदा होने लगा। ये अफीम व अन्य नशीले पदार्थ लेकर बरेली, गाजियाबाद, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली व एन0सी0आर0 में डिमाण्ड के अनुसार सप्लाई करने लगे । अभियुक्तगण ने बताया कि हमें अफीम की जितनी डिमाण्ड मिलती है उतना माल लेकर हम बस व ट्रेनों से बदल-बदल कर आते हैं, जिसको माल देना होता है वो जगह हम लोग पहले ही तय कर लेते हैं कि माल कहाँ और कितने बजे देना है, जब हम माल लेकर चलते हैं तब हम लोग सोनू के ही सम्पर्क में रहते हैं उसी के बताये अनुसार माल की डिलीवरी लोनी क्षेत्र व दिल्ली के बार्डर पर करनी थी, माल लेकर सोनू ने हमे गाजियाबाद पहुचने के लिये कहा था, माल डिलीवरी करने से पहले ही हम पकडे गये । पूछताछ पर यह भी बताया कि हम पिछले 03 वर्ष से यह काम कर रहे हैं एवं कई बार माल पंहुचा भी चुके हैं मादक पदार्थो की तस्करी मे कम समय में ज्यादा फायदा होता है, हम अपने शौक व घर के खर्चे इसी से पूरे करते हैं।

अभियुक्तगण से पूछताछ पर मादक पदार्थो के बिक्री व तस्करी करने वाले अपराधियों के सम्बन्ध में कई अन्य महत्वपूर्ण जानकारियां मिली हैं। जिसके आधार पर टीमें बनाकर माल बरामदगी व गिरफ्तारी हेतु दबिशें दी जा रही हैं। निश्चित रूप से इस प्रकार की पुलिस कार्यवाही से जनपद गाजियाबाद व आस-पास के क्षेत्रों में मादक पदार्थो की बिक्री व उनके सेवन पर रोक लगेगी।

**नाम पता गिरफ्तार अभियुक्तगणः-.**

**1-** सुनील कुमार पुत्र तापेश्वर साव निवासी ग्राम असडिया थाना चतरा सदर जिला चतरा झारखण्ड उम्र 22 वर्ष

**2-** सुनीता देवी पत्नी अमित राम निवासी जयप्रभा नगर थाना सदर जिला हजारीबाग झारखण्ड उम्र 40 वर्ष

**बरामदगी का विवरण:-**

1.अफीम – 2.206 किलोग्राम कीमत लगभग 25 लाख रूपये

**गिरफ्तार करने वाली टीम:-**

1. स्वाट टीम, अपराध शाखा, पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद
2. थाना साहिबाबाद पुलिस टीम पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद

**थाना मसूरी पुलिस टीम द्वारा चोरी की घटना का अनावरण, घटना कारित करने वाले 03 अभियुक्त गिरफ्तार, चोरी किये गये सोने-चांदी के आभूषण (कीमत करीब 20 लाख रुपये) आदि बरामद।**

दिनांक 14.01.2026 को वादी मुकदमा गजेन्द्र कुमार निवासी टियाला थाना हापुड देहात जनपद हापुड ने थाने पर लिखित तहरीर दी कि वादी की ग्राम ढबारसी में सुनार की दुकान है, वादी दिनांक 13.01.2026 को समय करीब 06.00 बजे अपनी दुकान को बन्द करके दुकान का सारा आभूषण व कागजात बैग में भरकर विक्की से अपने घर जा रहा था रास्ते में शाहनबाज निवासी ढबारसी के घर उधार के पैसो का तगादा करने के लिये गया तभी शाहनबाज के घर के बाहर खडी विक्की पर रखे बैग को अज्ञात व्यक्ति द्वारा चुरा लिया गया जिसमें सोने व चांदी की आभूषण व डायरी, ए0टी0एम0 कार्ड थे। वादी की तहरीर के आधार पर तत्काल थाना मसूरी पर धारा 303(2) बीएनएस के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया तथा घटना के अनावरण हेतु त्वरित कार्यवाही करते हुये टीमों का गठन किया गया।

तत्पश्चात आज दिनांक 15.01.2026 को थाना मसूरी पुलिस टीम द्वारा उपरोक्त चोरी की घटना का अनावरण करते हुए, घटना कारित करने वाले 03 अभियुक्त गण 1. शाहबाज 2. शाहनबाज पुत्र गण जरीफ 3.अबुजर पुत्र फरमान निवासी गण ग्राम ढबारसी थाना मसूरी जनपद गाजियाबाद को मय चोरी किये सोने-चांदी के आभूषण (कीमत करीब 20 लाख रुपये) के साथ मुबारिकपुर रोड बम्बे के पास से गिरफ्तार किया गया। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

**पूछताछ का विवरण-**

अभियुक्त गण ने पूछताछ करने पर बताया कि गजेन्द्र सुनार की दुकान हमारे गांव ढबारसी में ही है, गजेन्द्र सुनार के शाहनबाज पर करीब 25000/- रूपये उधार है जो बार बार तगादा करने के लिये शाहनबाज के घर पर आता था। गजेन्द्र अपनी दुकान को बन्द करते समय दुकान से सारा सामान भर कर अपने साथ ले जाता है। दिनांक 13.01.2026 को शाम को 06 बजे गजेन्द्र सुनार तगादा करने के लिये शाहनबाज के घर आया और अपने गहने से भरे बैग को विक्की पर छोड दिया तो घर पर मिले शाहबाज ने गजेन्द्र को अपनी भाभी के घर पैसे लेने भेज दिया और इसी दौरान शाहबाज ने मौका देखकर विक्की पर रखे बैग को चोरी कर अपने भाई शाहनबाज एवं अबुजर को दे दिया व फिर तीनों ने बैग को झाडी में छुपा कर रख दिया था तथा बैग में रखे मिले करीब 5000 रूपयों को आपस में बांट कर खर्च कर लिया, बाद में बैग को जेवरात सहित उठाकर अपनी बहन के घर नाहल में रख दिया। आज दिनांक 15.01.2026 हम लोग बैग को अपनी बहन के घर से लेकर गाजियाबाद सुनार को बेचने जा रहे थे तभी हम लोगों को पकड लिया गया। हम लोगों ने लालच में आकर व उधार के पैसे चुकाने को लेकर ये गलती कर दी।

**गिरफ्तार अभियुक्त गण का विवरण -**

1.शाहबाज पुत्र जरीफ निवासी ग्राम ढबारसी थाना मसूरी जनपद गाजियाबाद, उम्र करीब 20 वर्ष

2.शाहनबाज पुत्र जरीफ निवासी ग्राम ढबारसी थाना मसूरी जनपद गाजियाबाद, उम्र करीब 24 वर्ष

3.अबुजर पुत्र फरमान निवासी ग्राम ढबारसी थाना मसूरी जनपद गाजियाबाद, उम्र करीब 25 वर्ष

**बरामदगी का विवरण –**

1. पीली धातु के 42 लौंग
2. पीली धातु 04 जोडी कुण्डल
3. पीली धातु 11 नोजपिन
4.पीली धातु 07 जोडी कान की बाली
5. पीली धातु 03 अंगूठी लेडिज
6.पीली धातु 01 जेंन्ट्स
7. पीली धातु 01 कन्ठी सेट पुराना
8.पीली धातु 01 जोडी पुरानी झुमकी
9.पीली धातु 03 गले के ताबिज
10.पीली धातु 02 लोकट
11.पीली धातु 01 जोडी टोप्स
12.सफेद धातु के 04 जोडी पायल
13.सफेद धातु 02 जोडी पाजेब
14.सफेद धातु 02 जोडी हथफुल
15.सफेद धातु 02 जोडी जस्तबन्द
16.सफेद धातु 10 गले की चेन छोडी व बडी
17.सफेद धातु 01 मंगलसूत्र
18.सफेद धातु 05 जोडी बच्चों की पायल
19.सफेद धातु 04 जोडी बच्चों के कडे
20.सफेद धातु 01 जोडी बच्चों के हथफुल
21.सफेद धातु 02 ब्रेसलेट
22.सफेद धातु 11 जोडी गुटला
23.सफेद धातु 03 अंगुठा सेट (कुल 18)
24.सफेद धातु 04 सेट मंहेदी चुटकी ( कुल 24)
25.सफेद धातु 09 जोडी मुसलमानी छल्ले
26.सफेद धातु14 लेडिज अंगुठी
27.सफेद धातु 20 जोडी बिछुए (कुल 80)
28.सफेद धातु 05 पेंडिल
29.सफेद धातु 01 जोडी पुरानी पाजेब
30.सफेद धातु 02 चांदी के सिक्के
31. सफेद धातू टुट-फुट पायल
32.अंगूठी, पेंडिल तथा आर्टिफिशयल मोती आदि
33. विक्की की चाबी, प्लॉस, आधार कार्ड बरामद।

**आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग –**

अभियुक्त गण के विरुद्ध थाना मसूरी पर उपरोक्त प्रकरण के संबंध में 01 अभियोग पंजीकृत है, अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

## गिरफ्तार करने वाली टीम-

थाना मसूरी पुलिस टीम।

## थाना मसूरी पुलिस टीम द्वारा चोरी की मोटरसाइकिल के साथ 01 अभियुक्त गिरफ्तार।

आज दिनांक 15.01.2026 को थाना मसूरी पुलिस टीम द्वारा चैकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर चोरी की मोटरसाइकिल के साथ अभियुक्त सलमान उर्फ टाइगर पुत्र स्व0 शमशाद निवासी ग्राम कैला भट्टा केला मस्जिद के सामने थाना कोतवाली गाजियाबाद उम्र करीब 30 वर्ष को नाहल चौराहे से मसूरी की तरफ गंगनहर पटरी चौकी क्षेत्र नाहल के पास से गिरफ्तार किया गया जिसके कब्जे से एक चोरी की मोटरसाइकिल आर-15 यामाहा बिना नम्बर प्लेट बरामद हुयी जिसके संबंध में थाना विजयनगर पर चोरी का अभियोग पंजीकृत है। उक्त बरामदगी के आधार पर गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध थाना मसूरी पर सुसंगत धारा-317(2)/317(5) बीएनएस में अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

## पूछताछ का विवरण-

अभियुक्त ने पूछताछ करने पर बताया कि उक्त यह बाईक मैंने अपने साथी साकिर पुत्र उमर निवासी मिर्जापुर थाना विजयनगर के साथ मिलकर कुछ दिन पहले प्रताप विहार से रात्रि में चोरी की थी जिसको मैं बेचने के प्रयास में निकला था कि चेकिंग में पकड़ा गया।

## गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण -

सलमान उर्फ टाइगर पुत्र स्व0 शमशाद निवासी ग्राम कैला भट्टा केला मस्जिद के सामने थाना कोतवाली गाजियाबाद, उम्र करीब 30 वर्ष

## बरामदगी का विवरण –

एक चोरी की मोटरसाइकिल बरामद।

## आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग –

अभियुक्त के विरुद्ध थाना मसूरी पर उपरोक्त प्रकरण में 01 अभियोग पंजीकृत किया गया है व जीआरपी गाजियाबाद में एनडीपीएस एक्ट का 01 अभियोग, चोरी के 02 अभियोग व थाना विजयनगर में चोरी का 01 अभियोग, नकबजनी का 01 अभियोग, लूट का 01 अभियोग तथा गाजियाबाद कोतवाली में एनडीपीएस एक्ट का 01 अभियोग व हापुड नगर में गैगस्टर एक्ट का 01 अभियोग पंजीकृत है, अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

## गिरफ्तार करने वाली टीम-

थाना मसूरी पुलिस टीम।

## थाना अंकुर विहार पुलिस टीम द्वारा चोरी की मोटरसाइकिल के साथ 01 अभियुक्त गिरफ्तार।

आज दिनांक 15.01.2026 को थाना अंकुर विहार पुलिस टीम द्वारा चैकिंग के दौरान चोरी की मोटरसाइकिल के साथ अभियुक्त रफीक उर्फ राजा पुत्र रहीस निवासी प्रीत विहार थाना अंकुर विहार गाजियाबाद, उम्र करीब 25 वर्ष को संत नगर बिजलीघर के पास थाना क्षेत्र अंकुर विहार से गिरफ्तार किया गया, जिसके कब्जे से एक दिल्ली से चोरी की गयी मोटरसाइकिल बरामद हुई जिसके संबंध में थाना करावल नगर दिल्ली पर चोरी का अभियोग पंजीकृत है। बरामदगी के आधार पर गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध थाना अंकुर विहार पर धारा- 317(2) बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

## पूछताछ का विवरण–

पूछताछ करने पर अभियुक्त रफीक उर्फ राजा उपरोक्त ने बताया कि मैं दिल्ली व यू0पी0 से मोटरसाइकिल चुराकर उन्हें कम दामों में बेच देता हूँ और पैसे कमाकर अपने शौक पूरे करता हूँ। मैंने यह मोटरसाइकिल करीब 02 महीने पहले दिल्ली से चुराई थी और इसे अभी तक छिपा कर रखा था। आज मैं इसे बेचने के लिए जा रहा था कि चेकिंग में पकड़ा गया।

**गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता–**

रफीक उर्फ राजा पुत्र रहीस निवासी प्रीत विहार थाना अंकुर विहार गाजियाबाद उम्र करीब 25 वर्ष

**बरामदगी का विवरण-**

दिल्ली से चोरी की 01 मोटरसाइकिल बरामद।

**आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग**

अभियुक्त रफीक उर्फ राजा उपरोक्त के विरुद्ध चोरी व बरामदगी के 02 अभियोग थाना लोनी पर, चोरी के 02 अभियोग दिल्ली में तथा चोरी व बरामदगी के 02 अभियोग थाना अंकुर विहार पर (कुल 06 अभियोग) पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

**गिरफ्तार करने वाली टीम-**

थाना अंकुर विहार पुलिस टीम।

**थाना लोनी पुलिस टीम द्वारा अवैध गांजा की तस्करी करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से कुल 03 किलो 720 ग्राम अवैध गांजा, 07 पाउच पिन्नी व 850 रुपये नकद बरामद।**

दिनांक 14.01.2026 को थाना लोनी पुलिस टीम द्वारा सर्च अभियान के तहत अवैध गांजा की तस्करी करने वाले एक अभियुक्त अनुस पुत्र रहीसुददीन निवासी मौहल्ला इन्द्रापुरी थाना निवाडी गाजियाबाद उम्र करीब 22 वर्ष को सब्लू गढी तिराहे से ग्राम गढ़ी जस्सी वाले कच्चे रास्ते से गिरफ्तार किया गया जिसके कब्जे से 03 किलो 720 ग्राम अवैध गांजा बरामद हुआ। उक्त बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर थाना लोनी पर तत्काल सुसंगत धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

**पूछताछ का विवरण-**

अभियुक्त ने पूछताछ करने पर बताया कि मैं चोरी-छिपे बाहर से गांजा लेकर आता हूँ तथा आसपास के क्षेत्र में घूम फिर कर अवैध गांजा की पुडिया बनाकर बिक्री करता हूँ। मैं इस गांजा को लोनी क्षेत्र में बेचने की फिराक में था कि चेकिंग में पकड़ा गया।

**गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता -**

अनुस पुत्र रहीसुददीन निवासी मौहल्ला इन्द्रापुरी थाना निवाडी गाजियाबाद, उम्र करीब 22 वर्ष

**बरामदगी का विवरण –**

03 किलो 720 ग्राम अवैध गांजा, 07 छोटे पाउच पिन्नी व 850 रुपये बरामद।

**आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग –**

अभियुक्त के विरुद्ध थाना लोनी पर उपरोक्त प्रकरण के सम्बन्ध में एनडीपीएस एक्ट का 01 अभियोग पंजीकृत किया गया है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है

**गिरफ्तार करने वाली टीम-**

थाना लोनी पुलिस टीम।